न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–109 / 2020

बिहार सरकार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम संतोष कुमार राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

04/9/2020

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–554 / गो0, दिनांक 05.05.2020 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–64 / 20 दिनांक 01.03.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 एवं बिहार ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत जब्त वाहन हुण्डई कम्पनी का वैन्यु कार इंजन नं0– G3LCKM917944 चेसिस नं0– MALFC81ALKM067825 जिसका निबंधन सं0–BR07AL-9422 है, को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 22.08.2020 से विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–64 / 20 दिनांक 01.03.2020 में जब्त वाहन हुण्डई वैन्यु कार निबंधन सं0–BR07AL-9422 को वाहन स्वामी द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। तदालोक में विपक्षी के द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा प्रतिभूति के रूप में मुकेश मनोहर, पिता–आनन्द मोहन प्रसाद साहा, मु0 वार्ड नं0 26, भठियारीसराय मारवारी कॉलेज के नजदीक, पो0–लालबाग, थाना– लहेरियासराय, जिला दरभंगा का वाहन सं0–BR07AK-3627 (हुण्डई वैन्यु कार) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–9,06,300/- (नौ लाख छः हजार तीन सौ रुपये मात्र) का तथा वाहन सं0– BR07AD-0884 (मोटरसाईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–36,043/- (छत्तीस हजार तैतालीस रुपये मात्र) कुल प्रतिभूति की राशि मो0–9,42,343/- (नौ लाख बियालीस हजार तीन सौ तैतालीस रुपये मात्र) का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0 9,11,050/- (नौ लाख ग्यारह हजार पचास) रूपये मात्र है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव दाखिल कागजात के आलोक में विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–64 / 20 दिनांक 01.03.2020 में जब्त वाहन हुण्डई कम्पनी का वैन्यु कार इंजन नं0– G3LCKM917944 चेसिस नं0– MALFC81ALKM067825 जिसका निबंधन सं0–BR07AL-9422 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना को दाखिल कागजात की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा